भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2699

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/ 26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में कमी"

2699. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में 18% की कटौती का लाभ बीमा कंपनियों द्वारा अपने पास रखने के बजाय प्रभावी रूप से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा;

(ख) क्या सरकार के पास मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को बहाल करने या मजबूत करने की कोई योजना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर लाभ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में कम प्रीमियम के रूप में परिलक्षित हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कमी के कारण राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि से निपटने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस हानि को उपभोक्ता राहत की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहें हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): बीमा उत्पादों पर विनियमन और उन पर जारी मुख्य परिपत्रों के रूप में एक प्रभावी विनियामक ढांचा बीमा उत्पादों की निगरानी के लिए मौजूद है, जिसमें बीमा उत्पादों को डिजाइन करना और बीमा प्रीमियम निर्धारित करना शामिल है। लागू दरों पर जीएसटी, बीमा प्रीमियम के अलावा अलग से एकत्र किया जाता है। चूंकि जीएसटी दरें बीमा प्रीमियम के ऊपर लागू होती हैं, खासकर कई बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बाजार में इसलिए यदि जीएसटी दर कम की जाती है, तो इससे पॉलिसीधारक को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

(ख): सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी का मुद्दा 09 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित उसकी 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संयोजन में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया।

21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक ने जीओएम की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष रखने के लिए और समय मांगा। परिषद ने जीओएम को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने पर सहमति जताई।

जीएसटी परिषद की किसी भी सिफारिश के अभाव में, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कर लाभ पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ग) से (च): उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

*****